


दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना 2031




प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र सेक्टर सेलाकुई

संकेतिका

(1) आवासीय (R)	(8) परिवहन (T)
निमित्त क्षेत्र	वर्तमान मार्ग
आवासीय क्षेत्र	प्रस्तावित मार्ग विस्तार
मिश्रित	प्रस्तावित मार्ग
(2) व्यवसायिक (C)	रेलवे लाईन / क्षेत्र
व्यवसायिक	बस अड्डा
(3) औद्योगिक (M)	अन्य
औद्योगिक	रोडवेज क्षेत्र सीमा
(4) सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक (PSP)	अपरिणामित क्षेत्र
सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक	नदी / नाले
(5) मनोरंजन (P)	वन औद्योगिक विकास अधिकांश क्षेत्र
मनोरंजन	
(6) कृषि (A)	
कृषि	
(7) विशेष क्षेत्र (S)	
चट्टान / वृक्षारोपण	
चाय बागान	
वन	

- मूल सिद्धान्त**
- महायोजना एक Broad Landuse Document है। पैमाना छोटा होने के कारण महायोजना में प्रमुख भू-उपयोगों के ही प्रस्ताव दिये जाते हैं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोगों की अवधारणा Zoning व जोनल स्तर के भू-उपयोग के प्रस्ताव जोनल स्तर में दिये जाते हैं।
 - पुनर्निर्धारित भू-उपयोग के प्रस्ताव नीति पर आधारित हैं, व्यक्तिगत भू-स्वामित्व तथा सजावट मानचित्र पर आधारित नहीं है।
 - दूनघाटी महायोजना-2031 में वर्गीकृत भू-उपयोगों को Zoning/UPZ/आईएनएड/गाइडलाइंस के अनुसार प्रमुख भू-उपयोग श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया है।
 - संशोधित महायोजना Zoning/UPZ/आईएनएड आधारित मानचित्र पर व्यवस्थित स्थापना हेतु तैयार किये गये हैं।
 - महायोजना-2031 मानचित्र एवं Zoning/UPZ/आईएनएड आधारित अद्यतनित क्षेत्र पैमाने में मूल अकार होने के कारण विभिन्न भू-उपयोगों एवं परिवर्तन के अकार, आइडेंटिफिकेशन एवं फीचर्स / मार्ग आदि के संशोधन में अकार होना स्वाभाविक है।
 - बृहद अकार के विभिन्न परिवर्तन को Zoning/UPZ/आईएनएड आधारित मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार दर्शाते हुए सीमा में संशोधन किया गया है। छोटे अकार के विस्तार परिवर्तन, विकास सुस्पष्ट ज़ूमिनिंग महायोजना स्तर पर सम्भव नहीं है, जो मानचित्र में चिह्नित नहीं किया गया है। नोड्स पर इन्फो वारताविक स्थिति अनुसार परिवर्तन सीमा मानी जायेगी।
 - वन विभाग से प्राप्त आवधिक वन भूमि के अधिदेखें व अकार मानचित्र के माफक सतह एक सतह होने के परिणाम वन सीमा को व्यवस्थित रखी होगा गया है।
 - किसी भी प्रमुख भू-उपयोग क्षेत्र में नोड्स पर आवधिक वन होने की स्थिति में सम्बन्धित स्थल को वन क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा। किसी भूमि से लगी वन क्षेत्र की सीमा अवकाश vco वर्षा की स्थिति होने पर एसी क्षेत्रों के एकल प्रकल्पों में आवश्यकतानुसार वन विभाग से पुष्टि उपरान्त भू-उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
 - प्रमुख मार्ग पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनके निकटतम औद्योगिक, व्यापक मार्गों के नाम एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार के विस्तार सहित महायोजना प्रतिवेदन के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
 - महायोजना में प्रस्तावित मार्गों / एक्सप्रेस-वे आदि के एलाइन्मेंट को अपरान्त व्यवस्था रखा गया है। परन्तु विस्तार मार्गों को Zoning/UPZ/आईएनएड आधारित अकार मानचित्र में प्रदर्शित विस्तार मार्ग एलाइन्मेंट के अनुसार रखा गया है।
 - महायोजना प्रतिवेदन में वर्णित नदी-नालें, जिनके किनारे की भूमि में नदी की ओर 10-10 मीटर सुरक्षात्मक क्षेत्र प्रोड्यूस जाना है, जो महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस प्राधिकार को कार्यान्वयन हेतु सुनिश्चित किया जा चकानेगा।
 - उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन अपरान्त मानचित्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे इमिडियट त्रुटि मन्तव्य हेतु महायोजना में संशोधन सम्भव जायेगा।

80 आयुष्मन्, मन्दासल मण्डल अवकाश।	80 प्रमुख भूमि, वन सतह	80 मुख्य मार्ग एवं वन निरोधक सतह
80 वर्षावन, उपरान्त वन विभाग परिवर्तन सतह	80 सौदर्य भूमि, वन सतह	80 वर्षावन, उपरान्त वन विभाग सतह
80 विस्तार/अकार, देहरादून सतह	80 विस्तार/अकार, नदी सतह	80 विस्तार/अकार, टिडकी सतह



उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
अधिसूचना संख्या- 1814 / V -2-2016-33(आ0) / 2010
देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित

ह0 / -
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव, आवास

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत